प्रेस विज्ञप्ति

29/10/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने मेसर्स ध्रुवी एंटरप्राइजेज और अन्य के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुजरात राज्य के अहमदाबाद, सूरत और भावनगर में स्थित 07 परिसरों में 27.10.2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

यह मामला गुजरात पुलिस की अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) से एक शिकायत प्राप्त होने पर दर्ज किया गया है, जिसमें संगठित अपराधियों के एक समूह द्वारा 200 से अधिक फर्जी संस्थाओं के निर्माण के खिलाफ फर्जी चालान के बल पर धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त करने और पास करने के लिए किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति के बिना मामला दर्ज किया गया है।

ईडी ने अपराध शाखा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। बाद में इस इकाई ने मेसर्स डीए एंटरप्राइजेज सहित 12 अलग-अलग संस्थाओं के नाम पर चालान बनाए, जिन्होंने जीएसटी विभाग से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया।

जांच के दौरान, यह पता चला है कि महेश लंगा नामक व्यक्ति मेसर्स डीए एंटरप्राइजेज नामक फर्म को नियंत्रित कर रहा था, जिसके परिसर से पुलिस अधिकारियों द्वारा बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी, और यह भी पता चला है कि शेल कंपनियों के साथ कई अन्य बेनामी लेनदेन होने का संदेह है। इसके परिणामस्वरूप, जांच के दौरान, वैधानिक अधिकारियों से पूछताछ की गई और पीएमएलए, 2002 के तहत विभिन्न बयान दर्ज किए गए, जो इन लेनदेन की वास्तविकता को स्थापित नहीं कर सके। तदनुसार, इसमें शामिल बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के ठिकानों पर तलाशी ली गई।

इस मामले में, ईडी अहमदाबाद ने पहले पीएमएलए, 2002 के तहत गुजरात राज्य में अहमदाबाद, भावनगर, जूनागढ़, वेरावल, राजकोट, सूरत और कोडिनार में 23 स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें आईटीसी का लाभ उठाने वाली संस्थाओं के पंजीकृत पते भी शामिल थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।